न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 15/2018

आर.सी.एम.एस. : 2018/00147

अपीलान्टगण

1. श्रीमती शान्तिदेवी पुत्री स्व. उरजाराम पत्नी कानाराम जाति कुमावत (गोटवाल) निवासी ग्राम पिसांगन तहसील पिसांगन जिला अजमेर (राज.)
2. श्रीमती मोकलीदेवी पुत्री स्व. उरजाराम पत्नी रामचन्द्र जाति कुमावत (मानणिया) निवासी ग्राम पिसांगन तहसील पिसांगन जिला अजमेर (राज.)
3. श्री पेमाराम पुत्र स्व. केकली देवी पुत्री स्व. उरजाराम पत्नी खाकीजी जाति कुमावत (मानणिया), निवासी ग्राम पिसांगन तहसील पिसांगन जिला अजमेर (राज.)
4. श्री चन्द्राराम पुत्र स्व. श्रीमती तुलछीदेवी पत्नी पुरखाजी पुत्री स्व. उरजाराम जाति कुमावत निवासी ग्राम बूटीवास तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)
5. श्री मदनलाल पुत्र स्व. श्रीमती सुखीदेवी पत्नी भंवराराम पुत्री उरजाराम जाति कुमावत निवासी ग्राम पिसांगन तहसील पिसांगन जिला अजमेर (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्टगण

1. श्री कालुराम पुत्र उरजाराम
2. श्री किशनाराम पुत्र उरजाराम जातियान कुमावत निवासीगण बुटीवास, तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)
3. नायब तहसीलदार, तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)
4. श्री हनुमानराम पुत्र सगराम जाति कुमावत निवासी बुटीवास तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)
5. श्री सुवासिंह पुत्र हरीसिंह जाति रावत निवासी बुटीवास तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी

रेस्पोडेण्ट संख्या 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम पंचारिया

–: निर्णय :–

दिनांकः– 3/01/2020

अपीलाण्टगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार रायपुर द्वारा स्वीकृत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नामान्तरकरण संख्या 317 स्वीकृत दिनांक 08.06.1981 को निरस्त कराने हेतु पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है तथा प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु अधिवक्ता अपीलाण्टगण एवं अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 4 व 5 की की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम बुटीवास, तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 630 रकबा 13 बीघा 07 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 631 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 634 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 635/1 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 632 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 756 रकबा 11 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 636 रकबा 15 बिस्वा किस्म गै.मु. मगरा कुल खसरा 8 कुल रकबा 51 बीघा 11 बिस्वा की अपीलाण्ट संख्या 1 व 2, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पिता व अपीलाण्ट संख्या 3, 4 व 5 के नाना उरजा पुत्र भोमा जाति कुम्हार व अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा कृषि भुमि थी, जिसमें खातेदार उरजा का 1/2 हक व हिस्सा था। उरजा पुत्र भोमा कुम्हार का स्वर्गवास वर्ष 1981 में हो चुका है। उनके देहान्त के पश्चात जैर अपील आराजी का नामान्तरकरण संख्या 317 दर्ज किया गया। जिसमें उरजा के समस्त विधिक वारिशान के नाम दर्ज न कर मात्र उरजा के पुत्रों रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिया। जो विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्त है। उरजा की मृत्यु के पश्चात हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलाण्ट संख्या 1 व 2, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 तथा अपीलाण्ट संख्या 3, 4 व 5 की माता उनके प्रथम श्रेणी के वारिशान होने से उनके देहान्त पश्चात् जैर अपील आराजी का नामान्तकरण उनके नाम दर्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने हल्का पटवाारी से मिलीभगत करते हुए जैर अपील नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा दिया। जबकि हल्का पटवारी को नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त उरजा पुत्र भोमा के समस्त विधिक वारिशान को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था, उनको जरिये नोटिस तलब किया जाना चाहिए था तथा बाद सुनवाई, जांच एवं विधिवत प्रक्रिया अपनाने के पश्चात ही दर्ज करना चाहिए था। लेकिन जैर अपील नामान्तरकरण दर्ज करने में हल्का पटवारी द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे जैर अपील नामान्तरकरण प्रथम दृष्टया ही एक शुन्य नामान्तरकरण है। उरजा पुत्र भोमा को जैर अपील आराजी में 1/2 हिस्सा निहित था इस प्रकार उनके देहान्त पश्चात् उनके समस्त वारिशान को जैर अपील आराजी में 1/14 हक व हिस्सा आता है। जिस पर समस्त वारिशान उरजा पुत्र भोमा के देहान्त के पश्चात से ही काबिज काश्त है तथा अपीलाण्ट संख्या 3, 4, व 5 के माता के देहान्त के पश्चात से उनके निहित हक व हिस्से की भूमि पर अपीलाण्ट्स पर उनका कब्जा काश्त है। जैर प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 631, 632, 634, 635, 635/1 व 636 कुल खसरा 6 रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा भूमि में उरजा का

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

1/2 हक हिस्सा निहित था, जिस में से बाद नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा 1/4 हिस्से की भूमि क्रेता श्री हनुमानराम पुत्र संगराम कौम कुमावत को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामे द्वारा बैचान कर दी, जबकि उक्त खसरे में रेस्पो. संख्या 1 को हिस्सा मात्र 1/14 ही था, इसी प्रकार खसरा नम्बर 630 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा भूमि में रेस्पो. संख्या 1 ने 1/4 हिस्से की भूमि क्रेता श्री हनुमानराम पुत्र संगराम को तथा रेस्पो. संख्या 2 ने 1/4 हिस्से की भूमि क्रेता श्री सुवासिंह पुत्र हरिसिंह रावत को जरिये रजिस्टर्ड बेचाणनामे के बैचाण कर दी, जबकि उक्त आराजी में भी उनका हिस्सा 1/4 ने होकर 1/14 ही था तथा खसरा नम्बर 756 रकबा 11 बीघा 07 बिस्वा भूमि में से उरजा की 1/2 भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने क्रेता श्री हरजी पुत्र मिश्रु कौम बावरी को जरिये रजिस्टर्ड बेचाणनामे के द्वारा बैचाण कर दी है। जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उनका हिस्सा मात्र 1/14 वॉ ही था। अगर जैर अपील नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व हल्का पटवारी ने उरजा पुत्र भोमा के विधिक वारिसान को सुनकर दर्ज किया होता, तो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 अपने हिस्से के अलावा दूसरे वारिसान के हिस्से के आराजी का विक्रय नहीं कर पाते। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने जिन व्यक्तियों को जैर अपील आराजी का बेचाण किया है, उनका उक्त आराजी पर कब्जा नहीं है अपीलाण्ट्स को घरेलू आवश्यकता हेतु ऋण की आवश्यकता पड़ने पर वे ऋण प्राप्ती हेतु आवश्यक दस्तोवज चालु जमाबन्दी की नकल की जरूरत होने के कारण अपीलाण्ट्स दिनांक 18.02.2018 को हल्का पटवारी बुटीवास के पास से जब चाही, तो उन्होंने बताया की अपीलाण्टगण का जमाबन्दी में बतौर खातेदार नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं है तथा उनके भाई रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने उक्त आराजी में से कुछ हिस्सा अन्य व्यक्तियों को बैचाण कर दी है, तब अपीलाण्टगण जैर अपील नामान्तरकरण की प्रतियां हल्का पटवारी से प्राप्त कर अपील न्यायालय में पेश की है। अपीलाण्टगण ने जानबूझ कर या कोई उद्देश्य विशेष की प्राप्ति हेतु अपील पेश करने में विलम्ब नहीं किया, बल्कि उक्त विलम्ब सद्भाविक है, जो क्षमा योग्य है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने तथ्यों की ताईद में न्यायिक दृष्टान्त RRT 2013(2) page 1284, 2014(2) RRT page 965, 2014(2) RRT page 970, 2011(2) RRT page 788, 2005(2) RRT page 1126, RRT 2001(1) page 350, RRT 2018(1) page 584, RRT 2004(1) page 607, RRT 2004(1) page 611, RRT 2003(1) page 513, RRT 2003(1) page 516 and RRT 2013(1) page 473, RRD Mar. 2006 page 156, RRT 2002(1) page 53, RRT 2002(1) page 57, RRT 2008(1) page 1406 and RRD 1989 page 45 पेश किए।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 4 व 5 ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील आराजी स्व. उरजा पुत्र भोमा की सह खातेदारी भूमि थी, जिसमें उनका हिस्सा 1/2 था। उनके देहान्त पश्चात उनका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 317 राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा उनके पुत्रों के नाम दर्ज किया गया, जो विधि सम्मत है। उक्त नामान्तरकरण दर्ज करते समय उरजा पुत्र भोमा के कोई पुत्री हो ऐसा साक्ष्य राजस्व कर्मचारियों के सामने नहीं प्रकट हुआ। ग्राम बुटीवास के खसरा नम्बर 235 को एक अन्य नामान्तरकरण संख्या 721 दिनांक 22.09.2001 को ग्राम पंचायत बुटीवास द्वारा उरजा की पत्नी जिमनाई के देहान्त होने से दर्ज किया गया, उसमें भी जिमनाई के वारिसान में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 का ही नाम अंकित किया गया है। उनकी पुत्रियां बाबत कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं। वास्तव में अपीलाण्टगण उरजा की पुत्रिया है ही

अति. जिला कलक्टर, पाली

वारिसान में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 का ही नाम अंकित किया गया है। उनकी पुत्रियां बाबत कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं। वास्तव में अपीलाण्टगण उरजा की पुत्रिया है ही नहीं तथा उन्होंने यह अपील झूठे आधारों एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर न्यायालय में नामान्तरकरण संख्या 317 के दर्ज होने के लगभग 37 वर्ष पश्चात की है, जो प्रथम दृष्टया ही म्याद बाहर होने से काबिल निरस्त है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में यह तथ्य कहीं अंकित नहीं किया कि उरजा पुत्र भोमा की मृत्यु दिनांक क्या है, जबकि अगर अपीलाण्टगण उनकी पुत्रियां होती तो उन्हें इसकी जानकारी होती। जैर अपील आराजी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 4 व 5 को जरिये पंजीकृत बेचाण के विक्रय कर दी है तथा क्रेता अपनी–अपनी जमीन पर काबिज है व काश्त कर रहे है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने आपसी सहमती से षडयन्त्र कर एवं फर्जी व बनावटी बहने बनाकर झूठी अपील न्यायालय में पेश की है। अपीलाण्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के पैरा संख्या 3 में उल्लेख किया कि उनको जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 317 की जानकारी दिनांक 18.02.2018 को हुई, इसके उपरान्त भी उन्होने अपील न्यायालय में दिनांक 05.04.2018 को 45 दिवस पश्चात पेश की है, जबकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 78 (क) के तहत नामान्तरकरण जारी होने के तीस दिवस में अपील न्यायालय में पेश करनी चाहिए थी, लेकिन अपीलाण्टगण द्वारा 38 वर्ष की लम्बी अवधि के पश्चात उनको जानकारी दिनांक 18.02.2018 को होने के स्वीकार्य तथ्य के बावजूद भी 30 दिवस के भीतर अपील न्यायालय में पेश नहीं कर 45 दिवस पश्चात न्यायालय में पेश की है, अपीलाण्टगण द्वारा उपरोक्त देरी के संबंध में भी कोई युक्तियुक्त कारण परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश नहीं किया है, जबकि उनको इस संबंध में प्रत्येक दिवस का कारण पेश करना चाहिए था। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्पष्टतया म्याद बाहर होने से एवं झुठे व बनावाटी तथ्यों के आधार पेश करने से काबिल खारिज है। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 4 व 5 ने अपने तथ्यों की ताईद में न्यायिक दृष्टान्त RRT 2013(1) page 125, RRT 2013(1) page 444, RRT 2013(1) page 421, RRT 2011(1) page 421, RRT 2012(1) page 569, RRT 2007 (2) page 788, RRT 2009 (2) page 1414 and RRD 1991 page 164 पेश किए।

हमने बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रकरण में वर्णित तथ्यों एवं निहित निम्न विधिक बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण किया जाना आवश्यक हैं, जिसके अनुसार प्रथम विधिक बिन्दु यह परिलक्षित होता है कि आया अपीलाण्टगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर कण्डोन किया जाना न्यायोचित है अथवा नहीं ? इस संबंध में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त यथा आर.आर.टी. 2013(1) पेज संख्या 125 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें अभिनिर्धारित किया कि " Code of Civil Procedure, 1908-Order 41, Rule 3A (3) & Sec. 151-Aplication filed to decide the question of limitation first-Application rejected & passed the order of hearing the application &

अति. जिला कलेक्टर, पाली

appeal together-Delay of 35 years in filing appeal against mutation sanctioned on 10.02.1975-Question of limitation should have been decided first-Held, Order is illegal & set aside & case remanded & directed to decide the question of limitation first. एवं आर. आर.टी. 2011(1) पेज संख्या 421 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें अभिनिर्धारित किया कि "Question of limitation should have been decided first before passing order on merits." उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में चस्पा होता है तथा म्याद के बिन्दु के सन्दर्भ में प्रकरण हाजा का परीक्षण करने पर यह स्थिति प्रकट होती है कि ग्राम बुटीवास में उरजा पुत्र भोमा की सह खातेदारी कृषि भुमि स्थित थी, उरजा पुत्र भोमा के देहान्त के पश्चात उनका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 317 दिनांक 08.06.1981 को उनके पुत्रों के नाम दर्ज किया गया। जिसे निरस्त कराने हेतु यह अपील न्यायालय में पेश की है। पत्रावली अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जैर अपील नामान्तरकरण दर्ज होने के 37 वर्ष पश्चात पेश करने के संबंध में अपीलाण्टगण का यह कथन है कि उनको प्रथम बार जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 18.02. 2018 को घरेलु आवश्यकता हेतु ऋण की जरूरत होने पर, उनके द्वारा पटवारी हल्का से जैर अपील आराजी की जमाबन्दी प्राप्त करने पर हुई। जो पत्रावली संलग्न अधिवक्ता अपीलाण्टगण द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण की सत्य प्रति से स्पष्ट है। इसके पश्चात अपीलाण्ट ने अपील न्यायालय में दिनांक 05.04.2018 को 45 दिवस पश्चात् पेश की है, जबकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 78 (क) में यह स्पष्ट अंकन किया गया है कि जिस आज्ञा/आदेश पर आपत्ति उठाई जानी है, उक्त आदेश के जारी होने के तीस दिन के भीतर न्यायालय जिलाधीश अथवा भू–अभिलेख अधिकारी अथवा भू प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष अपील पेश करनी चाहिए, अपीलाण्टगण द्वारा नामान्तरकरण जारी होने के 37 वर्षो पश्चात् तथा जानकारी होने के 45 दिवस पश्चात् अपील न्यायालय में पेश की है, इसके संबंध में हुई देरी बाबत कोई युक्तियुक्त कारण अपील के साथ प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं किया है, न ही उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में कोई उल्लेख किया गया। जबकि उनको इस संबंध में प्रत्येक दिवस का कारण पेश करना चाहिए था। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हस्तगत अपील स्पष्टतया म्याद बाहर है, इसमें कोई संदेह नहीं है तथा सिर्फ उदार रूख अपनाते हुए, अपील अपीलाण्ट को अन्दर म्याद शुमार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह तथ्य नहीं माना जा सकता कि जैर अपील नामान्तरकरण के संबंध में अपीलाण्टगण को जानकारी न हो, जबकि उरजा पुत्र भोमा की तीन पुत्रियों का देहान्त इस दरम्यान हो चुका है तथा वर्ष 2011 व 2012 में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा जैर अपील अराजी में से काफी हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या 4 व 5 तथा एक अन्य व्यक्ति को बेचाण कर दी है। अधिवक्ता अपी. ने अपीलाण्टगण के पिता उरजा की मृत्यु दिनांक का अंकन कहीं नहीं किया है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें अपने पिता की मृत्यु दिनांक की जानकारी न हो। अधिवक्ता अपीलाण्टगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त सम्मानीय है, लेकिन हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अधिवक्ता अपीलाण्टगण अपील पेश करने में हुए विलम्ब के संबंध में कोई सन्तोषप्रद अथवा युक्तियुक्त कारण स्पष्ट करने में पूर्णतया असफल रहे है, जिससे प्रकरण को म्याद के बिन्दु पर निर्णित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन, बलहीन एवं म्याद बाहर होने से खारिज की जाती है तथा नायब तहसीलदार रायपुर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 317 स्वीकृत दिनांक 08.06.1981 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/01/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली